ग्राम पंचायत डडोली, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत डडोली विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री सुशील विजय	22.8.2008 से 9.8.2013
2.	श्री मनमोहन सिंह	10.8.2013 से 31.1.2014
3.	श्रीमति सुमन मैहरा	1.2.2014 से 27.11.2014
4.	श्री चंद्रमोहन	28.11.2014 से 21.12.2014
5.	श्री पवन कुमार शर्मा	22.12.2014 से लगातार

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री अनिल कुमार	23.1.2011 से 22.1.2016
2.	श्री बलजीत कौर	23.1.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	7	अनुदानों का प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना	1.62
2.	7.1	अनुदान राशि का अवरोधन	9.06

3.	8	औपचारिकताओं को बिना पूर्ण किए क्रय करने बारे	3.03
4.	9	क्रय की गई सामग्री का भण्डारण न करना	2.87

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत डडोली, विकास खण्ड कांगड़ा, तहसील व जिला कांगडा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जांच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 2.8.2016 से 6.8.2016 तक के दौरान ग्राम पंचायत कार्यालय डडोली में किया गया। आय की विस्तृत जांच के लिए क्रमशः माह 3/14, 8/14 व 2/16 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 3/14, 12/14 व 7/15 को चयनित किया गए।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत डडोली, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 147, दिनांक 6.8.2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत डडोली से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत डडोली द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत डडोली के अवधि 4/2013 से 3/2016 स्वयं स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	27976	20117	48093	32315	15778
2014–15	15778	42881	58659	21065	37594
2015–16	37594	30595	68189	17982	50207

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत डडोली के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	300528	2537157	2837685	2640947	196738
2014–15	196738	2723022	2919760	2215225	704535
2015–16	704535	2723536	3428071	2521778	906293

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1.	KCCB, Kangra	5055747999	348
2.	KCCB, Kangra	5055748063	498922
3.	KCCB, Kangra	5055748176	845
4.	KCCB, Kangra	5055748223	11903
5.	KCCB, Kangra	5055748029	269
6.	KCCB, Kangra	20111040438	443844
7.	KCCB, Kangra	87740100023590	0
		कुल जोड़	**₹956131**

बैंक समाधान विवरणः–

(क) दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष (1+2):–	₹956500
(ख) दिनांक 31.3.2016 को बैंक में कुल जमा राशि	₹956131
(ग) हस्तगत राशि	₹369
(घ) कुल जमा	**₹956500**

5. रोकड़ वही का नियमानुसार तैयार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या : 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–(क) के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या : 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–(ख) जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए कुल सात रोकड़ वही व सात बैंक बचत खाते ग्राम पंचायत द्वारा खोले गए थे, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव नियमानुसार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता "क" व "ख" के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5.1 नियमों के विरूद्ध बैंक बचत खातों का खोला जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है, परन्तु पंचायत द्वारा स्व–स्त्रोत व अनुदानों के लिए सात खाते खोले गए थे, जबकि स्व–स्त्रोत व अनुदानों के लिए अलग–अलग खातों को खोलना अपेक्षित था। अतः नियमानुसार बैंक खातों को न खोले के लिए उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified abstract) को न तैयार करने बारे :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन–देन के लिए अलग–अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार बनाए जाने का उद्धेश्य आय–व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई, परन्तु आय–व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6. गृहकर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जांच में स्वः स्त्रोत, गृहकर इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जांच में उपलब्ध नहीं करवाया गया था, जिसके आभाव में गृहकर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. अनुदानों से प्राप्त राशि से ₹1.62 लाख अधिक व्यय करने बारे :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट–1 के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अनुदान SDPF, SDP, MPLAD व VKVNY के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹35562, ₹570, ₹40912 व ₹85276, इन अनुदानों में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई, जोकि अनियमित है। इस अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित किया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

7.1 अनुदान ₹9.06 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट–1 के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹906293 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वान्छित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 144, दिनांक 6.8.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डडोली को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत डडोली द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.03 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹302844 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 145, दिनांक 6.8.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डडोली को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत डडोली द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. क्रय की गई ₹2.87 लाख की निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1)(ए,बी,सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के दोरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–3 पर ₹286572 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है, जोकि एक गम्भीर मामला है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 145, दिनांक 6.8.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डडोली को अवगत करवाया गया, परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत डडोली द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए अभिलेख नियमानुसार पूर्ण किया जाए, जिसकी पुष्टि आगामी लेखा परीक्षा में करवाई जाए अन्यथा राशि वसूली योग्य है।

16. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का

रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

11. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. विविध अनियमितताएं :–

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

13. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष :–** लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(2),23/2016 खण्ड–1–5799–5802 दिनांकः 07.11.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत डडोली, विकास खण्ड कांगड़ा, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा, स्थित धर्मशाला जिला कांगड़ा हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कांगड़ा, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.